राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला व पुरूष) नाहन, जिला सिरमौर के छात्र कल्याण निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 4/06 से 3/14

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है। अतः संस्थान इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/92

1	पैरा–5 (च) (i)	निर्णीत	(₹250 रसीद संख्या 4363 दिनाँक 14.10.14 द्वारा जमा करवा दिये गये)
2	पैरा–5 (च) (ii)	निर्णीत	(₹360/– रसीद संख्या 4363 दिनाँक 14.10.14 द्वारा जमा करवा दिये गये)

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/96

1	पैरा–8	अनिर्णीत	
2	पैरा–9	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख व उत्तर के आधार पर)
3	पैरा–10 (क)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख व उत्तर के आधार पर)

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/06

1	पैरा–4	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख व उत्तर के आधार पर)
2	पैरा–5	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख व उत्तर के आधार पर)
3	पैरा–6 (क)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख व उत्तर के आधार पर)
4	पैरा–6 (ख)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख व उत्तर के आधार पर)
5	पैरा–6 (ग)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख व उत्तर के आधार पर)
6	पैरा–7	निर्णीत	(₹150/– दिनाँक 14.10.14 को रसीद संख्या 4363 द्वारा जमा करवाये गये)
7	पैरा–8 (i)	अनिर्णीत	
8	पैरा–8 (ii)	निर्णीत	(की गई कार्यवाही अनुसार)

9	पैरा–8 (iii)	अनिर्णीत	
10	पैरा–8 (iv)	अनिर्णीत	
11	पैरा–8 (v)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
12	पैरा–8 (vi)	अनिर्णीत	
13	पैरा–8 (vii)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख व उत्तर के आधार पर)

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नाहन, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) के छात्र कल्याण निधि लेखों (अवधि 4/06 से 3/14) का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है, श्री विरेन्द्र कुमार (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनाँक 23.9.14 से 21.10.14 तक के दौरान नाहन में किया गया। माह 8/06, 7/07, 7/08, 8/09, 7/10, 7/11, 8/12 व 7/13 के लेखों का चयन आय पक्ष की विस्तृत जाँच हेतु तथा माह 7/06, 2/08, 7/08, 6/09, 11/10, 7/11, 2/13 व 4/13 के लेखाओं का चयन व्यय पक्ष की विस्तृत जाँच हेतु किया गया।

अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थान में प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं करवाई गई, के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

3 अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य ने आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया।

क्र0सं0	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1	श्री पी0एल0 गुप्ता	16.08.05 से 07.02.07 तक
2	श्री सुनील कुमार	19.02.07 से 23.04.09
3	श्री गोर्वधन धारी	24.04.09 से 19.05.11
4	श्री एस0के0 गुप्ता	06.06.11 से लगातार

4 अंकेक्षण शुल्कः–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नाहन के (अवधि 4/06 से 3/14) लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹10500/– आँका गया। जिसे अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना

संख्या 39 दिनाँक 21.10.14 द्वारा प्रधानाचार्य को रेखाँकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–9 को शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया।

5 **वित्तीय स्थितिः–**

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नाहन (हिमाचल प्रदेश) के छात्र कल्याण निधि लेखों (4/06 से 3/14) की अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है।

6 **निवेशः–**

अंकेक्षण अवधि के दौरान छात्र कल्याण निधि लेखों में से ₹3013562/– का निवेश सावधि जमा योजना के अन्तर्गत दिनाँक 31.3.2014 को किया गया है। निवेशित राशि का विस्तारपूर्वक ब्यौरा **परिशिष्ट "ख"** पर वर्णित है।

7 **छात्र कल्याण निधि में से कम्पयूटरों इत्यादि की खरीद पर ₹71000/– किये गये व्यय पर पाई गई अनियमितता बारेः–**

₹71000/– का भुगतान हिमाचल प्रदेश Electronics Carporation शिमला को 2 नं0 कम्पयूटरों की आपूर्ति हेतु किया गया। वाऊचर की जाँच करने पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई जिनका निपटारा करके किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाये।

(क) जाँच के दौरान पाया गया कि उपरोक्त आपूर्तिकर्ता को संस्थान द्वारा भुगतान performa Invoice पर किया गया है जबकि नियमों के अनुसार सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से कम्पयूटरो ंका बिल प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः बिल पर भुगतान न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ख) क्रय किये गये कम्पयूटरो ंके लिए संस्थान द्वारा कोई भी आपूर्ति आदेश आपूर्तिकर्ता को लिखित में प्रेषित नहीं किया गया। अतः यह स्पष्ट किया जाए कि जब संस्थान द्वारा कम्पयूटरो ंकी आपूर्ति हेतु लिखित में कोई आदेश ही नहीं दिया गया तो आपूर्तिकर्ता द्वारा किन परिस्थितियों में कम्पयूटर की आपूर्ति कर दी गई।

(ग) संस्थान में उपरोक्त वर्णित कम्पयूटरों की वास्तविक प्राप्ति की जाँच किसी भी कमेटी द्वारा नहीं की गई है। अतः यह स्पष्ट किया जाए कि कम्पयूटरों की किस्म व गुणवता का पता किस प्रकार लगाया गया।

(घ) प्राप्त किये गये कम्पयूटरों का स्टॉक इन्द्राज किसी भी रजिस्टर पर नहीं किया गया। जिसका कारण स्पष्ट करते हुऐ अविलम्ब इनका इन्द्राज स्टॉक व प्रापर्टी रजिस्टर पर करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भेजी गई राशियों से सम्बन्धित रसीदों का प्रस्तुत न करनाः—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नाहन द्वारा निम्नविवरणानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को शिक्षा शुल्क व छात्र कल्याण निधियों से सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थियों की राशियाँ भेजी गई है, परन्तु भेजी गई राशियों से सम्बन्धित प्राप्ति रसीदों को अंकेक्षण अवधि के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं करवाया गया जिसके परिणाम स्वरूप भेजी गई राशियों की वास्तविक प्राप्ति की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित रसीदों को सम्बन्धित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान पुष्टि करवाई जाये।

क्र0सं0	संस्थान का नाम	राशि भेजने की तिथि	भेजी गई राशि
1	रा0औ0प्र0 संस्थान, शिलाई	16.7.08	6500
2	रा0औ0प्र0 संस्थान, बोगधार	16.7.08	4350
3	रा0औ0प्र0 संस्थान, राजगढ़	16.7.08	26750
4	रा0औ0प्र0 संस्थान, लम्बलू	21.7.08	2900
5	रा0औ0प्र0 संस्थान, पांवटा साहिब	1.2.08	11600
6	रा0औ0प्र0 संस्थान, सोलन	1.2.08	7250
7	रा0औ0प्र0 संस्थान, शमशी	1.2.08	4350
8	रा0औ0प्र0 संस्थान, रिकांगपियो	1.2.08	9700
9	रा0औ0प्र0 संस्थान, स्वारघाट	1.2.08	1450
10	रा0औ0प्र0 संस्थान, चम्बा	1.2.08	1450
11	रा0औ0प्र0 संस्थान, सलियाणा	1.2.08	2900
12	रा0औ0प्र0 संस्थान, डाडासीबा	1.2.08	5800

9 प्रशिक्षणार्थियों को दैनिक भत्ते के रूप में ₹9000/— का अनियमित भुगतानः—

₹9000/— का भुगतान विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों को दिनाँक 24.4.08 से 2.5.08 तक के दौरान प्रशिक्षण संस्थान नाहन के परिसर में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर दैनिक भत्ते के रूप में किया गया।

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल दिन	दर प्रतिदिन	भुगतान की गई राशि
30	5	60	9000

नियमों के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को दैनिक भत्ते की राशि तभी देय थी जब वह अपने संस्थान का प्रतिनिधित्व करने किसी अन्य संस्थान में जाते। यह प्रतियोगिता प्रशिक्षण संस्थान नाहन के परिसर से आयोजित होने पर जिन नियमों के अन्तर्गत यह राशि प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान की गई बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके वापिस खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

10 अग्रिम राशि ₹30000/- दिनाँक 1.4.13 के समायोजन बारेः-

₹30000/- का समायोजन श्री ज्ञान चन्द, अनुदेशक (Copa.) द्वारा दिनाँक 27.04.13 को निम्नविवरणानुसार व्यय द्वारा दिया गया।

आरम्भिक समारोह (Opening Ceramony)

क्र0सं0	विवरण	राशि
1	Cold & Soft drinks	13375
2	Disposable cups	3300
3	Minral water	480
4	Sweets	8500
5	Tea & Snacks	13740
6	Coffee	9000
Cloesing Ceramoney		
1	Cold & Soft drinks	8560
2	Sweets	7250
3	Tea & Snacks	9440
4	Glass jugs & tray	2480
	कुल योग	**76125**

उपरोक्त वर्णित ₹76125/- का भुगतान उक्त कर्मचारी द्वारा निम्नविवरणानुसार किया गया।

भुगतान योग्य राशि	76125
अग्रिम राशि में से किया गया भुगतान	30000
जेब से किया गया भुगतान	46125

उपरोक्त विवरण द्वारा व्यय की गई राशि छात्र कल्याण निधि के खाते पर वैध प्रभार नहीं है। अतः इस अनियमित रूप से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इसे नियमित करवाया जाये अन्यथा सम्पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके वापिस खाते में जमा करवाकर अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाये।

11 बिजली, पानी एवं टैलीफोन के बिलों के रूप में किया गया ₹44671/– का अनियमित भुगतानः–

निम्नविवरणानुसार संस्थान के बिजली, पानी तथा टेलीफोन से सम्बन्धित बिलों का भुगतान अंकेक्षण अवधि के दौरान छात्र कल्याण निधि खाते से किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार, तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या EDN (TE) A(3) 2/2004 दिनाँक 8.7.2010 के दिशा निर्देशों के अनुसार यह व्यय छात्र कल्याण निधि के खाते पर वैध प्रभार नहीं है। अतः इस अनियमित भुगतान/व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके इसे नियमित करवाया जाये अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली उचित माध्यम से करके वापिस खाते में जमा करवाई जाये। भुगतानों का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	**विवरण**	**भुगतान की तिथि**	**राशि**
1	बिजली बिल	24.7.08	466
2	पानी का बिल	29.7.08	426
3	बिजली बिल मी0सं0 I 1 I to I G8	20.9.06	19499
4	बिजली के बिल संख्या IG 1 I to I G8	24.8.06	34280
			44671

12 स्वयंसेवियों को दैनिक भत्ते के रूप में ₹33000/– का अनुचित व अनियमित भुगतानः–

जाँच के दौरान पाया गया कि माह 4/13 में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियेगिता के दौरान कार्य करने की एवज में 50 नं0 प्रशिक्षणार्थियों को ₹60/– प्रतिदिन की दर से 11

दिनों के लिए कुल ₹33000/— का भुगतान दैनिक भतो के रूप में किया गया है। नियमों के अनुसार स्वयंसेवियों को किया गया यह भुगतान देय नहीं है। अतः नियमों के विपरीत किये गये इस भुगतान का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹33000/— की वसूली उचित माध्यम ये करके वापिस खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

13 प्रवेश शुल्क, शिक्षा शुल्क तथा अन्य राजकीय प्राप्तियों को सीधे राजकीय कोष में समयवध जमा न करवाने बारेः—

जाँच के दौरान पाया गया कि प्रवेश शुल्क, शिक्षा शुल्क तथा अन्य राजकीय प्राप्तियों के रूप में प्रशिक्षणार्थियों से अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त राशियों को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा न करवाकर छात्र कल्याण निधि के खाते में जमा करवाकर एक मुश्त राशि छात्र कल्याण निधि से निकालकर राजकीय कोष में जमा करवाई गई है जबकि नियमों के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त करने के पश्चात इस प्रकार की राशियों को सीधे राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। अतः नियमों की अवहेलना करके राजकीय प्राप्तियों से सम्बन्धित राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाकर एक मुश्त राजकीय कोष में जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में नियमों के अनुसार ही राजकीय प्राप्तियों को राजकीय कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण अवधि के दौरान राजकीय कोष मे जमा करवाई गई एक मुश्त राशियों का विवरण निम्नलिखित हैः—

क्र0सं0	विवरण	जमा की तिथि	जमा राशि
1	अक्तूबर 2006 तक प्राप्त राशि	10/06	414700
2	अक्तूबर/2006 से सितम्बर/2011 तक	9/11	1994300

14 मोमेन्टोस इत्यादि के क्रय हेतु किया गया ₹159862/— का अनियमित भुगतानः—

जाँच के दौरान पाया गया कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नाहन के परिसर में दिनाँक 4.4.13 से 8.4.13 तक के दौरान आयोजित राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों को वितरित करने हेतु निम्न विवरणानुसार पुरस्कारों (momentos & Medals) इत्यादि की खरीद की गई।

क्र0सं0	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	VIP Momentos (full size)	2 नं0	5000	10000
2	VIP Momentos (Medium)	4 नं0	4100	16400
3	Momentos Award of	2 नं0	1400	2800

	Honour (full)			
4	Momentos awards of Honour (Mudium)	22 नं0	1100	24200
5	Medals	200 नं0	250	50000
6	Trophy (full size)	8 नं0	2000	16000
7	Trophy (Medium)	7 नं0	1200	8400
8	Trophy (Small)	1 नं0	800	800
9	Medals	185 नं0	110	20350
10	Medals 20L	1 नं0	3300	3300
				152250
			Vat	**7612**
			Gross Total	**159862**

वाऊचर की गहन जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐ पाई गई जिनका निपटारा करके किये गये व्यय को उचित ठहराया जाये।

(क) उपरोक्त वर्णित पुरस्कारों की खरीद निदेशक तकनीकी शिक्षा की पूर्व स्वीकृति के पश्चात ही औपचारिकताऐं पूर्ण करके की जानी थी लेकिन संस्थान/प्रधानाचार्य द्वारा अपने स्तर पर इन वस्तुओं की खरीद कर ली गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा निदेशक, तकनीकी शिक्षा विशेष स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाये।

(ख) जाँच के दौरान उपरोक्त वर्णित पुरस्कारों के वितरण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं करवाया गया जिसके परिणामस्वरूप पुरस्कारों के वास्तविक वितरण की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः वाँछित अभिलेख उपलब्ध न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 ब्रास बैण्ड, इत्यादि पर ₹10000/– का अनियमित भुगतानः–

जाँच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के दौरान गृह रक्षा विभाग (Home Guard) को ब्रास बैण्ड इत्यादि के लिए ₹10000/– का भुगतान 4/13 में किया गया। उप सचिव, तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या EDN (TE) A (3) 2/2004 दिनाँक 8.7.10 के अनुसार यह भुगतान छात्र कल्याण निधि के खाते पर वैध प्रभार नहीं है। अतः इस प्रकार अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली उचित माध्यम से करके वापिस खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

16 छात्र कल्याण निधि खाते के परिचालन तथा उपयोग हेतु छात्र कल्याण समिति का गठन न करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि प्रधानाचार्य द्वारा छात्र कल्याण निधि खाते के परिचालन तथा उपयोग हेतु तथा निधि में से किये गये व्ययों के पूर्व परामर्श हेतु छात्र कल्याण समिति का गठन नहीं किया गया है जबकि उप सचिव, तकनीकी शिक्षा की अधिसूचना संख्या RDN (TE) A(3) 2/2004 दिनाँक 8.7.10 के अनुसार प्रधानाचार्य द्वारा संस्थान में छात्र कल्याण समिति का गठन किया जाना अपेक्षित था जिसमें संस्थान के छात्र तथा स्टाफ के 50:50 सदस्य होने थे तथा जिनके परामर्श उपरान्त ही छात्र कल्याण निधि में से व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः नियमों के अनुसार समिति का गठन न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब समिति का गठन करके व्यय करने से पूर्व उसका अनुमोदन समिति से भी करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई।

18 निष्कर्षः– लेखाओं के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)सी(15)11(10)131/92 खण्ड–2 27-02-2015 दिनांक, शिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नाहन, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 शिमला–9 को भेजे।

2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा हि0प्र0, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

3 अवर सचिव (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.